न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/4452/2004/अलवर</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर

–अपीलार्थी

बनाम

1. रामगिरी बेवाह सैनिक जगमालसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर
2. मनीराम पुत्र रामप्रसाद
3. जोहरसिंह पुत्र हुकमचन्द
4. कालूराम पुत्र जीवणा मृतक जरिये वारिसान–

4/1. चम्पादेवी पत्नी कालूराम
4/2. सत्यवीर
4/3. रामवीर
4/4. सुरेश
4/5. रामपाल पुत्रगण कालूराम

5. रामसिंह पुत्र श्योराम
6. पूरण पुत्र गोविन्दा लाऔलाद फौत
7. हरीसिंह पुत्र धनीराम मृतक जरिये वारिसान–

7/1. धर्मपाल
7/2. राजेन्द्रप्रसाद
7/3. बहादुरसिंह पुत्रगण हरीसिंह
7/4. चलती बेवा हरीसिंह

8. निवास पुत्र किशनलाल
9. भूरिया पुत्र रमलिया मृतक जरिये वारिसान–

9/1. रोशनलाल पुत्र भूरिया निवासी लालपुर
9/2. रामा पुत्री भूरिया पत्नी रोहताश निवासी मु.पो. मानेसर

10.रमेश पुत्र उमरावसिंह
11.बनवारी पुत्र रामप्रसाद
12.मोहरसिंह पुत्र केशाराम

समस्त जाति अहीर निवासीगण लालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 04.07.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–01–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलार्थी व शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके पति जगमालसिंह भारतीय सेना में थे, जो सन् 1965 के युद्ध में शहीद हुए। वादिनी को खसरा खसरा नम्बर 161 मिन रकबा 15बीघा ग्राम लालपुर में आवंटित की गयी लेकिन इस भूमि पर ग्रामवासियों का अतिक्रमण होने से कलक्टर, अलवर ने दिनांक 02–08–1972 को खसरा नम्बर 79/1 की 15बीघा भूमि आवंटित कर दी व कब्जा दिया, तभी से वादिनी उक्त आराजी पर काबिज चली आ रही है। साबिक खसरा नम्बर 79/1 का कुछ भाग हाल खसरा नम्बर 430 में मिला दिया गया व कुछ रकबा 519 में मिलाया गया, लेकिन हाल खसरा नम्ब्र 519 रकबा 04बीघा 05बिस्वा भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ। अतः वादिनी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण अपीलार्थी व शेष प्रत्यर्थीगण की ओर से

जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित पांच विवाद्यक कायम किये। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 10-12-2002 से वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 24-01-2004 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-12-2002 को निरस्त करते हुए वादिनी अपीलार्थी के वाद को डिक्री कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर वादिया प्रत्यर्थी संख्या-1 महज अतिक्रमी थी और भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी है, इस कारण उसे किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। उनका कथन है कि वादिया को जिला कलक्टर अलवर ने भूमि का आवंटन किया और उसी के अनुसार उसे 15बीघा भूमि पर कब्जा दिया गया, जिसे वादिया स्वयं एडमीट करती है और जिस भूमि के लिए वह वाद लेकर आई है वह गैर मुमकिन आबादी की है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत् निर्णय से खारिज

किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष जो पक्षकार सरकार के अलावा थे उन्हें वादिया ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नहीं किया। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिनी को साबिक खसरा नम्बर 79/1 की 15बीघा भूमि आवंटित की। साबिक खसरा नम्बर 79/1 के हाल नम्बर 430/2 व 519 कायम किये गये तथा वादिनी आवंटी को जहां पर कब्जा दिया गया, वह उसी स्थान पर काबिज चली आ रही है। उनका कथन है कि स्वयं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास ने अपने पत्रांक 1485 दिनांक 22–03–1988 जो जिलाधीश, अलवर को लिखा, उसमें माना है कि वादिनी खसरा नम्बर 430/2 के 10बीघा 10बिस्वा व खसरा नम्बर 519 के 03बीघा 10बिस्वा कुल 14बीघा पर काबिज है। उनका कथन है कि नायब तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 24–4–1991 को तैयार की गयी, उसमें भी वादिनी का कब्जा 430/2 के 10बीघा 10बिस्वा एवं 519 के 03बीघा 10बिस्वा पर बताया गया है, जिससे यह साबित होता है कि वादिनी आवंटित भूमि पर ही काबिज काश्त है तथा उसका 04बीघा 05बिस्वा रकबा हाल नम्बर 419 में मिला हुआ

है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर ध्यान दिये बिना वादिनी की ओर से प्रस्तुत वाद को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि वादिनी आवंटित भूमि से अधिक भूमि पर काबिज काश्त नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किया जाना उचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

8. इसी प्रकार राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 24-01-2006 में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर मृतक प्रत्यर्थीगण संख्या-4 कालूराम, प्रत्यर्थी संख्या-7 हरीसिंह एवं प्रत्यर्थी संख्या-9 भूरिया के प्रार्थनापत्र में वर्णितनुसार वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है तथा प्रत्यर्थी संख्या-7 पूरण के लाऔलाद फौत होने से नाम तर्क किया जाता है।

9. तत्पश्चात् अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 23–02–2011 को निर्णीत करना उचित समझते है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने प्रार्थनापत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1479/1999 बउनवानी रामगिरी बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू में पारित निर्णय दिनांक 14–03–2007 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गयी, जो प्रत्यर्थी संख्या–1 को आवंटित भूमि बाबत् होने से रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाता है।

10. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलार्थी व शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके पति जगमालसिंह भारतीय सेना में थे, जो सन् 1965 के युद्ध में शहीद हुए। वादिनी को खसरा खसरा नम्बर 161 मिन रकबा 15बीघा ग्राम लालपुर में आवंटित की गयी लेकिन इस भूमि पर ग्रामवासियों का अतिक्रमण होने से कलक्टर, अलवर ने दिनांक 02–08–1972 को खसरा नम्बर 79/1 की 15बीघा भूमि आवंटित कर दी व कब्जा दिया, तभी से वादिनी उक्त आराजी पर काबिज चली आ रही है। साबिक खसरा नम्बर 79/1 का कुछ भाग हाल खसरा नम्बर 430 में मिला दिया गया व कुछ रकबा 519 में मिलाया गया, लेकिन हाल खसरा नम्बर 519 रकबा 04बीघा 05बिस्वा भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ। प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी प्रत्यर्थी संख्या–1 को साबिक खसरा नम्बर 79/1 की 15बीघा भूमि दिनांक 2–8–1982 को आवंटित की गयी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आवंटनशुद्धा भूमि को खसरा नम्बर 430 एवं 519 में मिलाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित

होता है कि खसरा नम्बर 430 रकबा 10बीघा 10बिस्वा एवं खसरा नम्बर 519 रकबा 08बीघा 05बिस्वा में से 03बीघा 10बिस्वा कुल 14बीघा भूमि पर वादिनी का कब्जा काश्त है। उक्त से स्पष्ट है कि वादिनी आवंटित भूमि 15बीघा से कम 14बीघा भूमि पर ही काबिज काश्त है। जहां तक राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 430/2 की 15बीघा भूमि वादिनी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होने का प्रश्न है, वादिनी खसरा नम्बर 430/2 की 10बीघा 10बिस्वा भूमि पर ही काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बर 519 की 03बीघा 10बिस्वा भूमि कब्जा काश्त है, जो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक चराई के लिए अनुपयुक्त भूमि के रूप में दर्ज की हुई है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपील को स्वीकार कर वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-01-2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य